



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 105 राँची, बुधवार, 17 फाल्गुन, 1947 (श०)
18 मार्च, 2026 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

अधिसूचना
29 मार्च, 2023

संख्या- स०क०/अराज०स्था०-01/2006-847--भारत का संविधान के अनुच्छेद-309 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अधीन झारखण्ड बाल विकास अराजपत्रित कर्मचारी (महिला पर्यवेक्षिका) सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति तथा सेवा शर्त) नियमावली, 2019-सह-यथा संशोधित झारखण्ड बाल विकास अराजपत्रित कर्मचारी (महिला पर्यवेक्षिका) सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति तथा सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली- 2021 में निम्नांकित संशोधन किया जाता है :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ -

- यह नियमावली "झारखण्ड बाल विकास अराजपत्रित कर्मचारी (महिला पर्यवेक्षिका) सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति तथा सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली- 2023" कही जायेगी।
- इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से ही प्रवृत्त होगा।

2. विभागीय अधिसूचना संख्या-2231, दिनांक-29.11.2021 द्वारा निर्गत झारखण्ड बाल विकास अराजपत्रित कर्मचारी (महिला पर्यवेक्षिका) सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति तथा सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली-2021 के नियम-2 में अंकित प्रावधान को निम्न रूपेन प्रतिस्थापित किया जाता है-

पूर्व का प्रावधान	संशोधित प्रावधान
संदर्भाधीन पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अधिसूचित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली- 2017 एवं झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन (संशोधन) नियमावली-2021 के प्रावधानों के आलोक में की जायेगी।	संदर्भाधीन पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अधिसूचित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली के संदर्भ में अद्यतन समय प्रवृत्त संचालन नियमावली के आलोक में की जायेगी।

3. विभागीय अधिसूचना संख्या-2231, दिनांक-29.11.2021 द्वारा निर्गत झारखण्ड बाल विकास अराजपत्रित कर्मचारी (महिला पर्यवेक्षिका) सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति तथा सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली-2021 के नियम-3 को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है-

पूर्व का प्रावधान	संशोधित प्रावधान
शैक्षणिक योग्यता- महिला पर्यवेक्षिका- (a) कुल स्वीकृत पद के 75% पद पर नियुक्ति हेतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र या मनोविज्ञान या गृह विज्ञान विषयों के साथ महिला स्नातक। उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/ 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छदित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं	शैक्षणिक योग्यता- महिला पर्यवेक्षिका - कुल स्वीकृत पद के 75% पद पर नियुक्ति हेतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र या मनोविज्ञान या गृह विज्ञान में स्नातक महिला।

इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। परन्तु यह कि अनुकम्पा नियुक्ति एवं सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता शिथिल रहेगी।	
---	--

4. विभागीय अधिसूचना संख्या-2231, दिनांक-29.11.2021 द्वारा निर्गत झारखण्ड बाल विकास अराजपत्रित कर्मचारी (महिला पर्यवेक्षिका) सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति तथा सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली-2021 के नियम-4 में अंकित प्रावधान को निम्न रूपेन प्रतिस्थापित किया जाता है-

पूर्व का प्रावधान	संशोधित प्रावधान
संदर्भाधीन पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अधिसूचित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली- 2017 एवं झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन (संशोधन) नियमावली-2021 के प्रावधानों के आलोक में की जायेगी।	संदर्भाधीन पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अधिसूचित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/ विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली के संदर्भ में अद्यतन समय प्रवृत्त संचालन नियमावली के आलोक में की जायेगी।

5. झारखण्ड बाल विकास अराजपत्रित कर्मचारी (महिला पर्यवेक्षिका) सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति तथा सेवा शर्त) नियमावली- 2019 एवं झारखण्ड बाल विकास अराजपत्रित कर्मचारी (महिला पर्यवेक्षिका) सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति तथा सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली- 2021 के अन्य प्रावधान यथावत् रहेंगे।
6. उक्त पर मंत्रिपरिषद् के दिनांक- 27.03.2023 की बैठक के मद सं0- 16 में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(कृपा नन्द झा)

सरकार के सचिव।
